भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 186

(सोमवार, 20 जुलाई, 2026/29 आषाढ़, 1948 (शक) को उत्तर के लिए)

नासिक में कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि

186. श्री राजाभाऊ पराग प्रकाश वाजेः

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वित्तीय वर्षों के दौरान नासिक जिले में कार्यशील कंपनियों द्वारा अर्जित कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि की कुल राशि का कंपनी-वार, वर्ष-वार और क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) नासिक जिले के भीतर स्थानीय प्राथमिकताओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, पेयजल, कौशल विकास और ग्रामीण अवसंरचना पर वास्तव में खर्च की गई सीएसआर राशि का ब्यौरा क्या है और कितनी राशि का उपयोग जिले से बाहर किया गया है;

(ग) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि एक प्रमुख औद्योगिक और कृषि-निर्यात केंद्र होने के बावजूद, नासिक में स्कूलों की खराब अवसंरचना, स्वास्थ्य सेवा में कमियां और किसानों की संकटपूर्ण स्थिति विद्यमान है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का निष्पक्ष क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करने के लिए उन जिलों में स्थानीय सीएसआर खर्च को अनिवार्य करने या प्रोत्साहित करने का विचार है, जहाँ कंपनियां मुनाफा कमाती हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क) से (घ): कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के लिए विधिक ढांचा कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 135, अधिनियम की अनुसूची VII तथा कंपनी (कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के माध्यम से प्रदान की गई है। कंपनी अधिनियम के अंतर्गत, सीएसआर एक बोर्ड-संचालित प्रक्रिया है तथा कंपनी का बोर्ड, अपनी सीएसआर समिति की सिफारिशों के आधार पर, कंपनी के सीएसआर कार्यकलापों की योजना बनाने, उनका निर्णय करने, उनका क्रियान्वयन करने तथा उनकी निगरानी करने के लिए सशक्त है। यह समिति सीएसआर नीति का निर्माण करती है तथा उसकी अनुशंसा करती है, जिसमें अधिनियम की अनुसूची VII में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों अथवा विषयों के अनुरूप कंपनी द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलापों की रूपरेखा निर्धारित की जाती है। अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (5) के प्रथम परंतुक में यह प्रावधान है कि कंपनी उस स्थानीय क्षेत्र तथा उसके आसपास के क्षेत्रों को, जहाँ वह परिचालन करती है, प्राथमिकता देगी। तथापि, स्थानीय क्षेत्र को दी जाने वाली यह प्राथमिकता केवल निदेशात्मक है, अनिवार्य नहीं है, और कंपनियों को स्थानीय क्षेत्र की प्राथमिकता तथा राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के मध्य संतुलन स्थापित करना अपेक्षित है। सरकार कंपनियों को किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में अथवा किसी विशेष क्रियाकलाप पर व्यय करने के संबंध में कोई विशिष्ट निर्देश जारी नहीं करती है।

जारी...2/-

कंपनियों द्वारा एमसीए-21 रजिस्ट्री में दाखिल किए गए सीएसआर से संबंधित समस्त आँकड़े, जिनमें राज्यवार, जिलावार, वर्षवार, विकास क्षेत्रवार, परियोजनावार तथा कंपनीवार विवरण शामिल हैं, सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध हैं तथा इन्हें www.csr.gov.in पर देखा जा सकता है। एमसीए-21 रजिस्ट्री में कंपनियों द्वारा किए गए वार्षिक फाइलिंग के आधार पर, नासिक में विगत पाँच वित्तीय वर्षों, अर्थात् वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2024-25 तक, के क्षेत्रवार सीएसआर व्यय का विवरण अनुलग्नक में संलग्न है।

अनुलग्नक

दिनांक 20.07.2026 के लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 186 के भाग (क) से (घ) से संदर्भितत
वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान नासिक जिले में विकास क्षेत्रवार सीएसआर व्यय

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	विकास क्षेत्र	वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्त वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2024-25
1	कृषि वानिकी	-	0.07	-	-	1.09
2	पशु कल्याण	0.93	0.98	1.74	1.59	0.92
3	सशस्त्र बल, पूर्व सैनिक, युद्ध विधवाएं/आश्रित	0.02	0.25	0.38	0.53	0.12
4	कला और संस्कृति	0.01	0.09	-	0.02	0.37
5	प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण	-	0.43	5.67	1.31	3.54
6	शिक्षा	22.50	22.22	59.01	44.09	84.94
7	पर्यावरणीय स्थिरता	8.38	4.87	10.23	20.60	19.19
8	लैंगिक समानता	0.04	0.09	1.24	1.48	1.06
9	स्वास्थ्य देखभाल	22.94	28.27	23.72	26.84	43.51
10	आजीविका संवर्धन परियोजनाएं	3.90	2.11	1.95	4.74	8.21
11	गरीबी, भुखमरी का उन्मूलन, कुपोषण	1.64	1.73	0.73	0.87	4.46
12	ग्रामीण विकास परियोजनाएं	11.35	10.58	15.30	13.01	18.72
13	सुरक्षित पेयजल	0.57	0.10	1.90	1.17	11.46
14	स्वच्छता	0.80	0.99	0.50	3.48	1.95
15	वरिष्ठ नागरिक कल्याण	0.07	0.34	0.65	0.45	3.63
16	महिलाओं के लिए घर और छात्रावास स्थापित करना	0.12	0.40	0.35	0.15	0.06
17	अनाथालय की स्थापना	0.02	0.13	-	0.13	0.15
18	सामाजिक-आर्थिक समानताएं	0.05	0.70	0.04	5.39	2.43
19	विशेष शिक्षा	0.72	0.67	1.14	1.01	3.40
20	प्रौद्योगिकी इनक्यूबेटर	0.07	-	-	-	-
21	खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण	0.02	0.16	1.30	1.08	1.11
22	व्यावसायिक कौशल	0.18	0.57	2.96	5.29	15.42
23	महिला सशक्तिकरण	0.17	0.99	1.94	0.59	0.88
	कुल	74.51	76.75	130.77	133.83	226.64

(31.03.2026 तक अपडेट किया गया) (स्रोत: कारपोरेट डाटा प्रबंधन प्रकोष्ठ)
